

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 18.09.2019

सगरस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 11 व 12) बजट आवंटन।
प्रसंग : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ3(2)(7)/बजट/
छात्रअजजा/सा.न्या.अ.वि./2019-20/49311 दिनांक 19.8.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 11 व 12) के वर्ष 2018-19 के शेष रहे लाभार्थियों को राज्य मद का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों माध्यमिक को लेखामद 2225-02-796-06-01 13 केन्द्रीय सहायता मद में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	2018-19	
			संख्या	राशि
1	AJMER	16289	19	43700
2	ALWAR	6452	1,000	2300000
3	BANSWARA	21127	3,000	6900000
4	BARAN	21800	500	1150000
5	BARMER	13976	2	4600
6	BHARATPUR	7236	302	694600
7	BHILWARA	17971	500	1150000
8	BUNDI	17137	744	1711200
9	CHITTAURGARH	21402	478	1099400
10	CHURU	4492	51	117300
11	DAUSA	8914	1,500	3450000
12	DHAULPUR	7576	356	818800
13	DUNGARPUR	20897	3,000	6900000
14	HANUMANGARH	3282	9	20700
15	JAIPUR	10196	2000	4600000
16	JAISALMER	13291	9	20700
17	JALOR	14459	3	6900
18	JHALAWAR	22087	500	1150000
19	JHUNJHUNUN	5349	254	584200
20	JODHPUR	13122	40	92000
21	KARAULI	8055	500	1150000
22	KOTA	21597	343	788900
23	NAGOUR	12261	45	103500
24	PALI	15571	388	892400
25	PRATAPGARH	22191	1,500	3450000
26	RAJSAMAND	18401	185	425500
27	S.MADHOPUR	8468	1,000	2300000
28	SIKAR	11216	467	1074100


29	SIROHI	14800	540	1242000
30	SRI GANGANAGAR	2735	4	9200
31	TONK	16781	500	1150000
32	UDAIPUR	20688	2,000	4600000
	TOTAL		21,739	49999700

(अखरे रूपये चार करोड़ निनयावने लाख निनयानवे हजार सात सौ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।

- छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
- छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
- राशि का आवंटन वर्ष 2018-19 के वंचित विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 के शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
- किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।


 वित्तीय सलाहकार
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर
 दिनांक : 09.2019

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20
 प्रतिलिपि :-

- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
- सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
- उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, _____
- लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।


 वित्तीय सलाहकार
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर